

आज आरक्षी केन्द्र द्वारा आरक्षक / सहायक उपनिरीक्षक / प्रधान को पगारी की ओर से अपराध के संघ में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री उप0 उप0

अभियुक्त / अभियुक्तगण

उप-40 निवासी / निवासीगण भगवाता
थाना जोधपुर जिला भोजपुर राज्य 17050
उपरिस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण को ओर से अधिवक्ता श्री मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भ0द0सं0 / 3451/1 अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190--(1) द0प्र0सं0 के अधीन संज्ञान विधिवत आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आदेशिका पंजी में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द0प्र0सं0 के धारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों के पदेनीय प्रती निशुल्क दिलाये जायें।

वृत्ति अपराध जमानत के अन्तर्गत अभियुक्त / अभियुक्तगण को और से 7000/- (सत्तहत्तर हजार रुपये) का जमानत होनी ही शर्त है। अभियुक्तगण जमानत प्रस्तुत किया जायें।

नेरुड

13-1-2019
Order of
proceeding

Order of proceeding with Signature of Presiding Officer

चूंकि मागला साक्षित विचारणीय है। अतः साक्षित विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 34(1) भा0द0स0/म0प0काबगरी अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखवद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से द्रुत करारकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुदांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति 15 पाव 100 रुपये राजसात किये जायें। संपत्ति 15 पाव 100 रुपये मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख सचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta
Judicial Magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 500/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 5625 रसीद, क0 3C दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

A.K. Gupta
Judicial Magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

Section 34 (1) of the M.P. Excess	When and by whom arrested	Whether on bail or not time fixed for appearance of accused and witnesses	Occupation and caste, address, age, parentage, etc.	number	नाम	दिनांक	को सं. वि.
				1		11-1-2019	13-1-2019
				2			

ने 20-1-2019